

नियमावली

- 1- संस्था का नाम :: घौधरी जमादार सिंह महिला डिग्री कालेज समिति ।
- 2- संस्था का पता :: श्राम व पोर्ट सौरिख्य तक्षील छबरामऊ, जनपद कन्नौज, उत्तर प्रदेश 243001
- 3- संस्था का कार्यक्रम:: समस्त उत्तर प्रदेश होगा।
- 4- संस्था के उद्देश्य:- स्मृतिपत्र के अनुसार होगे ।
- 5- संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

कोई भी महिला/ पुरुष जो इस संस्था के नियमों का पालन करने को तैयार हो तथा संस्था के उद्देश्यों में आत्मा रखते हों तथा डिग्री कालेज/महिला डिग्री कालेजों के संचालन/ व्यवसाय अनुदान आयोग के नियमानुसार सहयोग करने को तैयार हों वे इस संस्था के सदस्य आधिक संघ/ संघिव द्वारा बनाये जावेंगे ।

ब- आजीवन सदस्य: जो व्यक्ति इस संस्था को 50,000/- रुपये एकदम में एक मुश्त अदा करेंगे अथवा इसने या इससे अधिक मूल्य की चल या अपल सम्पत्ति अदा करेंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य बनाये जावेंगे ।

ब- सामान्य सदस्य: जो व्यक्ति इस संस्था को 1000/- रुपये वार्षिक सदस्यतापूलक के रूप में अदा करेंगे वे इस संस्था के सामान्य सदस्य बनाये जावेंगे ।

स- विधिवत्सदस्य : जो व्यक्ति समाजसेवी सरकार द्वारा सम्मानित सर्व उपाधिप्राप्त होगे जिनके प्रभाव व प्रतिष्ठा से संस्था का विकास हो सेते व्यक्तियों को संस्था की प्रबन्धसमिति द्वारा विधिवत्सदस्य मनोनीत किये जावेंगे । सदस्यतापूलक से मुक्त होंगे स्वेच्छा से कोई सहयोग या धनराशि दे सकते हैं ।

द- संरक्षक सदस्य : जो व्यक्ति इस संस्था के द्वारा सर्कारी कार्यक्रम पूर्ण सुसजित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार पूर्ण कराकर संस्था का देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य बनाये जावेंगे । इनका नाम विधायिका के विधालेख पर अंकित किया जायेगा ।

६- सदस्यता की समाप्ति :- मृत्यु होनेपर, पारित होनेपर, विधिवत्सदस्यता होनेपर किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक अराध में घटत होनेपर संस्था कीलगतार तीन बैठकों में अनुपस्थिति रहनेपर आवेदनास का प्रत्याव पारित होने पर त्यागपत्र स्वीकृत होनेपर संस्था जो हार्दिक पहुँचानेपर संस्था के विलक्षण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करनेपर संस्था की प्रबन्धसमिति के 2/3 बहुमत से निष्कासित करनेपर सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी देय सदस्यता पूलक वापस नहीं होगा और न ही सदस्यता

कृत्य-प्रतिलिपि कलेम कर सकें संस्थाके संरक्षक सदस्योपर मृत्युहोनायास्वेच्छा से हटना ही लागू होगा अन्य कारण संरक्षकसदस्यों पर लागू नहीं होगे।

हृषीनदीपक
विधिवत्सदस्यता कीलगतार
कालेज

प्रबन्धसमिति
वै. शमाहर गिरिहर डिग्री कालेज समिति
सीरेज- कालेज

७- संस्था के अंग :- संस्था के दो अंग हैं अ- साधारणा सभा ब- प्रबन्धकारिणीसमिति

८- साधारणा सभा - गठन:- संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारणासभा कहलायेगी ।

ब- बैठके :- साधारणा सभा की सामान्य बैठके वर्ष में एक होगी तथा विशेष बैठके आवश्यकता अनुसार सदस्यों को सूचना देकर किसी भी समय अध्यक्ष के अनुमोदन पर प्रबन्धक/ सचिव द्वारा बुलाई जावेगी ।

स- सूचनाओंध-सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को १५ दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना सदस्यों को ३ दिन पूर्व दी जावेगी ।

द- गणपूर्ति :- गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में से २/३ उपस्थिति सदस्यों का कोरम होगा कोरम के अभाव में बैठके स्थगित हो जाती है तो पुनः बुलाई द्वारा बैठकों के लिए कोरम की कोई आवश्यकता न होगी ।

य- विशेष वार्षिक अधिकारी की तिथि :- संस्था काविशेष वार्षिक अधिकारी प्रतिवर्ष हुआ करेगा जिसकी तिथि संस्था की प्रबन्धसमिति तय करेगी ।

र- साधारणा सभा के अधिकार संवर्तन :-

१- संस्था की उन्नति संवर्तन प्रबन्धसमिति का चुनाव छरना ।

२- संस्था के वार्षिक आय व्यय बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रिपोर्टों को स्वीकृत करना ।

३- संस्था के नियमों संवर्तन परिवर्तन परिवर्धनकरना ।

४- संस्था की प्रबन्धसमिति द्वारा पारित प्रस्तावों पर विचार कर अनुमोदन करना ।

९- प्रबन्धकारिणी समिति :-

अ- गठन:- साधारणा सभा में बहुमत या गुप्तमतदान या घुनाव प्रक्रिया या हाथ उठाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा प्रबन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एक प्रबन्धक/ सचिव एक उपप्रबन्धक/ उपसचिव एक कोषाध्यक्ष एवं सदस्य इस प्रकार १ व्यक्तियों की प्रबन्धकारिणीसमिति है जो आवश्यकता अनुसार १५ तक बढ़ाई या घटाई जा सकती है विशेषविधालय नियमावली के अनुसार ही बढ़ाई या घटाई जावेगी प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारी ही साधारणा सभा व संचालित महाविधालय के पदाधिकारी होंगे ।

ब- बैठके :- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठके वर्ष में दो होगी तथा विशेष बैठके आवश्यकता अनुसार सदस्यों को सूचना देकर किसी भी समय अध्यक्ष के अनुमोदन पर प्रबन्धक/ सचिव द्वारा बुलाई जावेगी ।

संहिता-प्रबन्धकारिणी

प्रबन्धक समिति

चौं० जगदार शिंदे महिला डिग्री कालेज समिति
सीरिय- कनौज

पुनरावरीय : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना सदस्यों को 24 घण्टे पहले दी जावेगी ।

द- गणपूर्ति :- गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में से $\frac{2}{3}$ उपस्थिति सदस्यों का कोरम होगा कोरम के अभाव में बैठके स्थगित हो जाती है तो पुनः बुलाई गई बैठकों के लिए कोरम की कोई आवश्यकता नहोगी।

य- रिक्त स्थानों की पूर्ति :- प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत कोई भी आकस्मक स्थान रिक्त होनेपर उस स्थान की पूर्ति साधारण सभा की बैठकों में शोष कार्यकाल के लिए कर ली जावेगी ।

र- प्रबन्धक ट्रिएण्सिमिति के अधिकार संवं कर्तव्यः-

- 1- संस्था की उन्नति सर्व विकास हेतु कार्य करना।
 - 2- संस्था के वार्षिक आय व्यय बजट व वार्षिक कार्यक्रमों कीरिपोर्ट को तैयार करना।
 - 3- संस्था के प्रिवादों को सुलझाना।
 - 4- संस्था के संचालन हेतु नियम उपचारित बनाना उपसमितियाँ बनाना योग्यता बनाना नीति नियमित करना।
 - 5- विविध नामों से डिग्री कालेज व महिला डिग्रीकालेजों की संचालन प्रबन्ध व्यवस्थाकरना व उनपर नियन्त्रण रखना।
 - 6- संस्था की घल व अपलं सम्पत्ति की सुरक्षा करना प्राप्तकरना।
 - 7- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग शिक्षा विभाग शिक्षा मन्त्री लिये उच्च शिक्षा मन्त्रालय, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग वन्य सरकारी विभागों से दान, अनुदान, चन्दा शण चल व अल समर्पित भारी प्राप्तकरेगी।

ल- कार्यकाल पूर्बन्धकारिणी समिति का कार्यकाल उद्दर्श का होगा ।

10- पदाधिकारियों के अधिकार स्वं कर्तव्यः-

अध्यक्ष ।- संस्था की ओर से बैठको की अध्यक्षता करना ।

2- बैठको के लिए दिनांको का अनुमोदन करना बैठको को स्थगित करना

३- किसी विषयपर समान मत आनेपर अपना एक निणायिक मत देना ।

क- संस्था के सभी कार्यों की देख रेख करना उसपर नियन्त्रण रखना।

5- संस्थां के विकास हेतु कार्य करना ।

उपाध्यक्ष - अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना सामान्य स्थिति में नकारात्मक सहयोग करना ।

प्रबन्धक/सचिव।- संस्था का मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी होगा।

2- संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करना।

सर्वथा-प्रतिलिपि

प्रवन्धक / सौचिव

चौंठ जमादार रिंह भाटिला ढिग्री कालेज समिति
रौटेरेख- कन्नौज

- 3- संस्थाकी अदातती कार्यवाही करना।
- 4- संस्था के अभिलेख तैयार करना सुरक्षित रखना पूर्ण करना।
- 5- संस्था के बैठकों की कार्यवाही लिखना लिपिबद्ध करना सुनाना तथा दार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
- 6- संस्था के हारा संचालित डिग्री कालेजों/ महिला डिग्री कालेजों में प्राचार्य/ प्राचार्य प्राध्यापक/ प्राध्यापिकाओं लिपिक, पुस्तकालयाध्यक्ष लेखेरियन चपरासी चौकीदार आदि की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्वाति पदच्युत वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन तय करना व भुगतान करना वेतन बृद्धि व वेतन वितरण करना।
- 7- समस्त स्टाफ की चरित्र पंजिकाये रखना उनमें कार्य के आधार पर अनुकूल सर्व प्रतिकूल प्रविष्ट करना कारण बताओनोटिस जारी करना प्रथक या निलम्बित करना।
- 8- संस्था के चर व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना छस्तान्तरण किराये पटटे पर लेने देने संबंधित घृष्णों दस्तावेजों, शर्तनामो आदि पर दस्तावेज़ करना।
- 9- विश्व विद्यालय अनुमूल आयोग विश्व विद्यालय नियमावली के अनुसार डिग्री कालेजों के संचालन की व्यवस्था करना उनका संचालन करना उनके नियमों को लागू करना व पालन करना।
- 10- समस्त प्रकार की धनराशियों प्राप्त करना सदस्यों से सदस्यताधारक चन्दा दान आदि प्राप्त करना।

उपप्रबन्धक/ उपसचिव - प्रबन्धक/ सचिव की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना शामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना।

- कोषाध्यक्ष
- 1- संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
 - 2- संस्था के कोष सम्बन्धी अभिलेखतैयार करना।
 - 3- संस्था के प्रबन्धक/ सचिव द्वारा सौमे गये कार्यों की करना।
- 11- संस्था के नियमों सर्व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:- संस्था के नियमों सर्व विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से सोसाइटीज रजिस्ट्री अधिनियम की धारा 12 के अनुसार साधारण सभा की बैठकों में किये जावें।
12. संस्था का कोष सर्व आय के श्रोत : - संस्था का समस्त कोष किसी भी बैक या पोस्ट आफ्स में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमां किया जायेगा जिसका आहरण प्रबन्धक/ सचिव सर्व अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष में सेवनी दो के संयुक्त दस्तावेज़ से किया जायेगा संस्था के हारा संचालित डिग्री कालेजों के खाते प्रबन्धक/ सचिव द्वारा शिक्षा विभाग/ विश्व विद्यालय अनुदान आयोग/ विश्वविद्यालय नियमावली के अनुसार संघातित किये जावें।

२१०८२३८

दस्तावेज़

२१०८२३८

२१०८२३८

प्रबन्धक/ सचिव

चौ० जमादार सिंह महिला डिग्री कालेज समिति
सौरिख- कन्नौज

उद्देश्यों को पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग शिक्षा विभाग, नागरिकों, वित्तीय संस्थाओं संस्थानों, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा मन्त्रालय तकनीकी शिक्षा विभागों, नागरिकों, वित्तीय संस्थाओं संस्थानों, बैंकों, ऐल हूद मन्त्रालय मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार कल्याणमन्त्रालय अन्य सरकारी विभागों से दान, अनुदान, चन्दा ग्रन घल व अचल सम्पत्ति आदि प्राप्त करेगी सदस्यों से सदस्याताशुल्क वर्धनदा करेगी।

13- संस्था के आय व्यय का लेखापरीक्षण आडीट - संस्था के आय व्यय का लेखापरीक्षण आडीट प्रतिवर्ष सब समाप्तिपर इक्सी योग्य टार्कित आडीटर या चार्ट्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

14- संस्था के द्वारा अधिवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन काउट्टरदायित्व संस्था द्वारा होने वाली अदालती कार्यवाही के संचालन कीप्रेरवी प्रबन्धक संघिव अधिवा अध्यक्ष द्वारा की जावेगी अधिवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्तिसंघोकेट द्वारा ही जावेगी।

15- संस्था के अभियंता 1- सदस्यता रजिस्टर
2- कार्यवाही रजिस्टर
3- लेजर कैशबुक,
4- सेण्टार रजिस्टर
5- अन्य अभियंता जो आवश्यक हो जाएगे।

16- विवरण:- संस्था के विधेन और विधीत सम्पत्ति के संस्थान का कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रियर अधिनियम कीधारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी।

मिनांक

25.9.2005

सत्यप्रतीक्षिपि

हस्ताक्षर



ग्रामीण सत्ता
विभाग छठी

स्वयं-प्रतिलिपि

उप विद्यालय
विद्यालय संस्था के सम्प्रतिलिपि
प्रबन्धक
लालवाल

MCC/SC/2005

— संदेश

25.9.2005

प्रबन्धक/सचिव
प्रबन्धक

दौ० जमादार सिंह महिला डिग्री कालेज समिति
सौरिख- कल्पीज